

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5107/

जबलपुर, दिनांक 17/10/2022

श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 05.03.2022 से 14.03.2022 तक 10 दिवस एवं दिनांक 30.03.2022 से 20.04.2022 तक 22 दिवस अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अवधि का अवैतनिक अवकाश (leave without pay) स्वीकृत किया जाता है एवं रोके गये वेतन के भुगतान की अनुमति के साथ कर्त्तव्य पर उपस्थिति दिनांक 21.04.2022 से वेतन का भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/5108/

जबलपुर, दिनांक 17/10/2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



17/10/22

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)